आयुक्त/अध्यक्ष महोदय,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 26.8.93 को हुई बैठक का त सम्मुख आपके अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष, 28/8/93
म0दे0वि0प्रा0

यथा प्रस्तुत
28/8

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.8.93 में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थितिः-

क्रमांक	अधिकारी का नाम		हस्ताक्षर
1-	श्री एम0रामचन्द्रन्	आयुक्त/अध्यक्ष	
2-	डा0प्रभात कुमार		
3	कैलाश चन्द्र बहुगुणा	निदेशक आवास	
4.	जोतसिंह		
5	[illegible]	न.प.	
6.	अनुपम गुप्ता	अधि.अ. मसूरी लोनिवि	
7.	ओ.पी. वर्मा,	अधि. अभियन्ता, जल निगम, निर्माण खंड 112, सवाद खण्ड, लखनऊ	
8.	ए.के. सिंह	सहायक वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	
9.	ए.के. द्विवेदी	सहायक निदेशक पर्यटन उत्तरांचल, देहरादून	26/8/93
10	रमेश चन्द्रा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र देहरादून	
11	दर्शन सिंह	मु.अ. जल निगम देहरादून	
12.	रामपालसिंह	अधि. अभि. म.दे.वि.प्रा. देहरादून	
13.	कुंवर सिंह	संयुक्त सचिव	
14.	बृजबीरतन	नगर नियोजक देहरादून	
15.	[illegible]	[illegible]	
16	एम.पी. अरोड़ा	वरिष्ठ नियोजक न. एवं ग्रा. नि. विभाग लखनऊ	26.8
17	ए.पी. मिश्रा	मु.अ. ... गढ़वाल	26/8

क्रमांक	अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री एम0रामचन्द्रन् आयुक्त/अध्यक्ष	[illegible]
2-	डा0प्रभात कुमार	[illegible]
3	[illegible] - [illegible]	[illegible]
4.	जोतसिंह [illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	अनुपम गुप्ता [illegible]	[illegible]
7.	ओ.पी. वर्मा, [illegible] 112, [illegible]	[illegible]
8.	ए.के. सिंह - सहायक वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	[illegible]
9.	ए.के. द्विवेदी - सहायक निदेशक पर्यटन उत्तरांचल, देहरादून	[illegible]
10	रमेश चन्द्रा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र देहरादून	[illegible]
11	दर्शन सिंह मु.अ. जल निगम [illegible]	[illegible]
12.	रामपालसिंह [illegible]	[illegible]
13.	कुँवर सिंह संयुक्त सचिव	[illegible]
14.	[illegible] [illegible] देहरादून	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]
16	एम. पी. अनेजा वरिष्ठ नियोजक [illegible]	[illegible] 26.8
17	ए. पी. मिश्रा [illegible]	[illegible] 26/8
18	आर० के० गुप्ता अधीक्षण अभियंता (विद्युत) देहरादून	[illegible]

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.8.93 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति

1- श्री एम0रामचन्द्रन्,आयुक्त,गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2-डा0प्रभात कुमार,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून	उपाध्यक्ष
3-श्री ए0पी0मिश्रा,मुख्य वन संरक्षक,गढ़वाल	सदस्य
4-श्री जोत सिंह,अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी	सदस्य
5-श्री दीनानाथ सलूजा,अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून।	सदस्य

प्रतिनिधि सदस्यः

1-श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,विशेष सचिव,आवास,उ0प्र0 शासन।

2-श्री दर्शन सिंह,मुख्य अभियंता,जल निगम,देहरादून

3-श्री ओ0पी0वर्मा,उप निदेशक,पर्यावरण निदेशालय,उ0प्र0।

4-श्री ए0के0द्विवेदी,सहायक निदेशक पर्यटन,उत्तरांचल,देहरादून।

5-श्री आर0के0दास गुप्ता,अधीक्षण अभियंता,(विद्युत),देहरादून।

6-श्री रमेश चन्द्रा,महाप्रबन्धक,जि0उ0के0,देहरादून।

7-श्री एम0पी0अनेजा,वरिष्ठ नियोजक,न0एवं0ग्राम्य नि0 वि0 लखनऊ।

विशेष आमंत्रीः

1-श्री नव प्रभात,सदस्य,उ0प्र0 विधान परिषद।

अन्य उपस्थितिः

1-श्री प्रमांशु,सचिव,म0दे0वि0प्रा0।

2-श्री कुँवर सिंह,संयुक्त सचिव,म0दे0वि0प्रा0।

3-श्री रामपाल सिंह,अधिशासी अभियंता,म0दे0वि0प्रा0।

4-श्री ए0के0सिंह,वन संरक्षक,देहरादून वन प्रभाग,देहरादून।

5-श्री बृज बी0रतन,सहयुक्त नियोजक,गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून।

450

मद संख्या-1

गत बैठक की कार्यवाही

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी तथा सर्व-सम्मति से अनुमोदित की गयी। अनुमोदन स्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए।

मद संख्या-2

गत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या

अवलोकनोपरान्त गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिए गए कि चूंकि मसूरी हुसैनगंज आवासीय योजना (नेहरूपुरम) अब समाप्त की जा चुकी है अतः प्राधिकरण उक्त भूमि को किसी अन्य रूप में विकसित करने हेतु योजना तैयार करें।

मद संख्या-3

शमन उपविधियों के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-8081/9आ-5-92-डी0ए0-8 दिनांक 13.11.92 द्वारा प्राप्त शमन उपविधियों का अवलोकन किया गया तथा इन उपविधियों के कतिपय प्रस्तरों में देहरादून तथा मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकाधिक व्यावहारिक बनाने हेतु केवल आवासीय निर्माण के सम्बन्ध में निम्नांकित संशोधन करने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों के अनुसार उपविधियों में संशोधन करने के लिए शासन को संस्तुति की जाए एवं शासन का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अ) प्रस्तर-2 (2)

'(क) इसमें निम्नलिखित और जोड़ा जाए-

' परन्तु आवासीय निर्माण हेतु निर्माण,भवन निर्माण उपविधियों के अनुमन्य [illegible]छादित क्षेत्रफल से अधिक होने पर अधिकतम् 10 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन क्षेत्रफल तक [illegible]नीय होगा। '

(ख) इसमें निम्नलिखित और जोड़ा जाए-

' परन्तु केवल आवासीय निर्माण हेतु निर्माण अनुमन्य एफ0ए0आर0 से [illegible]क 20 प्रतिशत तक अधिक होने पर शमनीय होगा। '

[illegible]ूची-1

(क) केवल आवासीय निर्माण हेतु समस्त श्रेणी के अनधिकृत निर्माण/विकास [illegible] हेतु शमन शुल्क की न्यूनतम् दरें शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपविधियों में निर्धारित [illegible]म् दरों का 50 प्रतिशत ही रखा जाए तांकि छोटी श्रेणी के आवासीय अनधिकृत

निर्माणों से सम्बन्धित अपराधों को शमन करने पर अनावश्यक रूप से अधिक शमन शुल्क देय न हो ।

(ख) प्रस्तर-2 (2) में उल्लिखित संशोधनों हेतु शमन शुल्क की निम्न दरों को निर्धारित करने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

(I) यदि भूखण्ड का आच्छादन निर्धारित सीमा से अधिक हो।	निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र का 150 प्रति वर्ग मीटर और भूमि की लागत (वर्तमान बाजार मूल्य) किन्तु न्यूनतम् शुल्क रू0-1,000/- होगा एवं अधिकतम् शुल्क गणनानुसार होगा।
(II) यदि निर्माण निर्धारित एफ0ए0आर0सीमा से अधिक हो।	10 प्रतिशत तक निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र का 500/- प्रति वर्ग मीटर तथा 10 प्रतिशत से अधिक रू0-1,000/- प्रति वर्ग मीटर

(ग) अनुसूची-1 के क्रमांक-9 पर अंकित श्रेणी में संशोधन करते हुए निम्नांकित और जोड़ने का निर्णय सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

' केवल आवासीय निर्माण हेतु यदि निर्माण मात्र प्लिन्थ लेबिल तक हो तो शमन की दरें उक्त दरों की 25 प्रतिशत ही ली जायेंगी। प्लिन्थ लेबिल के ऊपर शमन शुल्क की गणना पूर्ण दरों से ही की जायेगी। '

मद संख्या-4

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

देहरादून महायोजना के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पूर्व बैठक में ही अस्वीकृत कर दिया गया था एवं महायोजना की कतिपय विसंगतियों को दूर करने के उद्धेश्य से एक समिति का गठन दिनांक 4.3.93 की बैठक में हुआ था । उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की गयी। सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि संस्तुतियां बैठक के दिन ही सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी हैं अतः इन संस्तुतियों पर सदस्यों की प्रतिक्रया हेतु लगभग 20 दिन का समय रखा जाए एवं यदि कोई प्रस्ताव/संशोधन सदस्यों द्वारा इस बीच प्राप्त होते हैं तो समिति द्वारा उनका पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक, जो लगभग एक महीने बाद हो, में प्रस्तुत किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय भी लिया गया कि समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का वर्गीकरण कर लिया जाए कि किन-किन संशोधन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है एवं कौन-कौन से प्रकरण शासन को संदर्भित किए जाने है। शासन को संदर्भित किए जाने वाले प्रकरणों के प्रस्ताव भी नियमानुसार तैयार करने के उपरान्त बैठक में प्रस्तुत किए जाएं।

मद संख्या-5

मसूरी महायोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में

मसूरी महायोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित निजी वन क्षेत्रों का सीमांकन न होने के बारे में काफी विचार - विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि

प्रस्तावित महायोजना के सम्बन्ध में आपत्तियों/सुझावों पर पुनः सुनवाई की जाए। उक्त के सम्बन्ध में एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया जिसमें उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून, अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी,उप वन संरक्षक,मसूरी तथा सहयुक्त नियोजक,गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून को नामित किया गया । उक्त समिति सुनवाई के पश्चात् अपनी संस्तुतियाँ प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। यह भी निर्णय लिया गया कि महायोजना को अंतिम रूप दिए जाने तक मसूरी के सभी मानचित्रों का निस्तारण प्रस्तावित महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप ही किया जाए।

मद संख्या-6

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 93-94 के लिए प्रस्तावित बजट

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1993-94 के लिए प्रस्तावित बजट (आय-व्यय) को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों इत्यादि के निर्माण हेतु चयन एक समिति द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे।

1-उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।
2-जिलाधिकारी,देहरादून।
3-अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून।/अध्यक्ष,नगरपालिका,मसूरी (अपनी-अपनी नगरपालिकाओं के संबंध में)

मद संख्या-7

पी0पी0सी0एल0(भारत सरकार) के कार्यालय भवन के सम्बन्ध में

पी0पी0सी0एल0 कर्मचारियों के लिए ग्राम ब्राह्मणवाला में पूर्व स्वीकृत आवासीय कालोनी में पी0पी0सी0एल0 के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-8

मैं0 आधुनिक गैस सर्विस के खसरा नम्बर-139/2 ग्राम बदरीपुर देहरादून में एल0पी0जी0 गैस सिलैण्डरों के संग्रह हेतु गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में।

उक्त गोदाम हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक को विस्फोटक अधिनियम इत्यादि के अर्न्तगत अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य में गैस गोदाम इत्यादि के निर्माण हेतु स्वीकृति देने के सम्बन्ध में उपविधियां तैयार कर ली जाए।

मद संख्या-9

प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के आवास किराये के सम्बन्ध में

प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के आवास किराए के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा संयुक्त सचिव को आवास उपलब्ध कराए जाने तक अधिकतम् रू0-2,000/- (दो हजार रू0) मासिक किराया अनुमन्य किए जाने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या-10

अन्य विषय-अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

ट्रान्सपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कतिपय खातेदारों द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लिए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाईयों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि यदि नेगोसियेशन द्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण में शीघ्रता हो सकती है तो प्राधिकरण नियमानुसार नैगोसियेशन के माध्यम से उक्त भूमि को क्रय करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/8/93

(डा0प्रभात कुमार)
उपाध्यक्ष
म0दे0वि0प्रा0,
देहरादून

28/8/93

(एम0रामचन्द्रन)
आयुक्त/अध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0,
देहरादून।